बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2021– 2022

डांग विकास संस्थान, करौली

गदका की चौकी के पास ग्राम पोस्ट बरखेडा

तह0 जिला करौली 322241 राज0 07464–220772 मो0 9414340578

कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान

संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया जिससे लोग कोरोना से डरे नहीं बल्कि बचाव करें। कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने हेतु संस्था द्वारा विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जैसे गांव–गांव फ्लेक्स वैनर लगाये गये, जागरूकता रथ बना कर माईक के माध्यम से 20 गांवें में प्रचार–प्रसार किया गया, पम्पलेट बांटे गये और लोगों को बचाव के उपाय बताये गये तथा समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया और बचाव के तरीके बताये गये। इस अभियान तहत गांवों कोरोना टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा कोरोना का टीका ही कोरोना से बचा सकता है है इस बाबत् लोगो में जागरूकता बढी और कोरोना का टीका लगवाने लगे।

कोविड–19 में विधवा परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण

डांग विकास संस्थान करौली द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में कोविड–19 वैश्विक महामारी में गरीबतम परिवारों को आई समस्याओं को चिन्हित कर ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में पंचायत सरपंच व सचिव से समन्वय स्थापित कर संस्था द्वारा गरीबतम परिवारों का चयन कर तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए संस्था इन माहों में 1500 गरीबतम परिवारों को राहत खाद्य सामग्री किटों का वितरण किया गया। किट में चना व मूंग की दाल, तेल, मसाले चाय चीनी व साबुन दिये गये। यह किट कार्यक्षेत्र के 40 चयनित गांवों 150 विधवा महिलाओं को वितरित की गई संस्थान द्वारा कुल 9426 राशन किटों का वितरण किया गया।

मास्क व सैनिटाइजर वितरणः–

संस्था द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने हेतु करौली जिले के शहरी व गांवों में 15000 मास्कों का वितरण किया गया और मास्क के उपयोग की जानकारी के साथ ही उन्हें इसका नियमित उपयोग करने की सलाह दी गई व इसे इस्तेमाल करने के बाद रोजाना धोकर उपयोग करने की सलाह दी गई तथा कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क की आवश्यकता को समझाया गया।

सुरक्षित खनन टूल डैमो

संस्था के द्वारा सुरक्षित खनन की जानकारी देना संस्था द्वारा तैयार किये गये टूल का करौली, धौलपुर, भीलवाडा, वारा, बूदी आदि स्थानों की खदानों में डेमों करवाकर टूल के माध्यम से नियमित खनन करने के वारें में बताया कि खनन कार्य में सवसे अधिक धुल खाच करते समय अधिक धुल उडती है उस समय संस्था के द्वारा तैयार किये गये टूल का उपयोग करें यह टूल 60 प्रतिशत सिलिका धूल रोकने में कारगर है। इस टूल का उपयोग करने वाले मजदुरों के द्वारा सकारात्मक परिणाम बताया गया है टूल का उपयोग करने से मजदुरों की कुछ परेशानी खत्म हो गई है जैसे थुक के साथ लाल निकलना नॉक से लाल पत्थर निकलना आदि समस्या से बचा जा रहा है

सिलिकोसिस उपचार शिविर

संस्था द्वारा कोरोनाकाल में सिलिकोसिस पीडितों को लॉक डाउन के कारण नियमित दवाईया नही मिल पा रही थी जिस में लोगों को आने जाने की भी परेशानी थी पैसा भी नही था उस समय संस्था द्वारा सिलिकोसिस उपचार शिविरों का आयोजन खान बाहुल्य क्षैत्र में आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया गया उन पर नियुक्त डॉक्टर के परामर्श अनुसार लक्षण के अनुसार दवाईया दी गई जिसमें कफ,सीरप,प्रोटीन पाउडर,मल्टीविटामिन,सॉस वाले पम्प,सुमो डुयुब के अलावा डॉक्टरों के परामर्श अनुसार सिलिकोसिस पीडितों को इवाईया दी गई जिस सिलिकोसिस पीडितों नियमित दवाईया समय समय मिलती रही ।

सिलिका सेण्ड स्टोन मजदूरों की व्यवसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा जॉच करवाई गई।

संस्थान द्वारा करौली जिले में सिलिका की खदानों का सर्वे किया गया सर्वे के बाद संस्थान द्वारा व्यवसायिक बिशेषक्ष से चर्चाहुई जिसमें उन्हौने कहा कि 100 मजदरों जिसमें 8 बर्ष से

और 20 बर्ष तक सिलिका की खदानों में कार्यरत महिला व पुरूष मजदूरों के एक्सरे करवायें जिससे उनकी बीमारी का पता लगाया जा सकेगा संस्थान द्वारा 101 मजदूरों के एक्सरे करवा जिसकी सिलिकोसिस रिपोर्ट आ गई है। जिसमें 30 प्रतिशत सिलिकोसिस बीमारी पायी गई है उनके लिए भी संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा जिससे न्यूमोकोनिओसिस पॉलसी में बर्णित लाभों को दिलवाने हेतु पैरवी की जा सकेगी।

विधवा महिलाओं का संगठन निर्माण

डांग विकास संस्था द्वारा खनन मजदुरों की विधवा महिलाओं के साथ 20 गांवों में अलग–अलग महिला समूहों का संगठन निर्माण कर उनकी समस्याओं को चिन्हित कर उन पर कार्य करने के लिए कार्य योजनाओं का निर्माण किया गया जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि विधवा पेशंन में 500 रूपये प्रति माह मिलता है जिससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। मनरेगा में कार्य नहीं चल रहा है और कोई रोजगार का साधन नहीं है। पालनहार योजना, खाद्य सुरक्षा योजनाओं में भी अधिकांशतः महिला परिवारों के नाम नहीं जुडे हुए है। इस हेतु डांग विकास संस्थान द्वारा महिला संगठनों के माध्यम से उक्त समस्याओं के सामाधान हेतु कार्य आरम्भ किया गया जिसमें सर्व प्रथम विधवा महिलाओं की 500 रूपये से बढाकर 1500 रूपये प्रतिमाह पेशंन बृद्धि हेतु राजस्थान सरकार को पत्र लिखे गये। पत्र का लगातार फोओंअप किया जा रहा है तथा सरकार की योजनाओ जैसे पालनहार, विधवा पेशंन, प्रधान मंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोडने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

विधवा महिलाओं के आजीविका संबर्धन हेतु क्राउड फटिंग – संस्थान द्वारा खनन मजदूर परिवारों की विधवाओं को बकरीपालन से आजीविका संबर्धन करने हेतु पूर्व अनुभवों के आधार पर बकरीपालन से परिवार अपनी आजीविका चला सकता है, इसको ध्यान में रखते हुये संस्थान द्वारा क्राउड फडिग के माध्यम से 500 विधवा महिलाओं को बकरीपालन से जोडकर आजीविका संबर्धन हेतु कार्य किया जा सकेगा।

राजस्थान न्यूमोकोनिओसिस पॉलिसी पर आ रही चुनौतियों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

संस्था द्वारा न्यूमोकोनिओसिस पॉलसी के क्रियान्वयन में आ रही चूनोतियों के संदर्भ में करौली व धौलपुर जिले के साथ साथ राजस्थान के खनन बाहुल्य जिलों में सिलिकोसिस पीडितों के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ राज्य स्तर पर पैरवी करने की निम्न योजना तैयार की गई–

1. सिलिकोसिस नीति के तहत जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित श्रमिकों को 1,500 रू. मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। पहले श्रमिकों को यह पेंशन ऑटो मोड में प्रमाणित होने पर अपने आप मिलना आरम्भ हो जाती थी। इसके लिए उन्हे पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पडता था। माह अक्टूबर 2021 से ऑटो पेंशन की इस व्यवस्था को अचानक समाप्त कर दिया गया है। अब प्रमाणित श्रमिक को पहले अपने आप को विकलांग के रूप में UDID में पंजीकृत करवाकर जनआधार में अपना स्टेटस विकलांग करवाकर सिलिकोसिस पेंशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बिना प्रमाणित श्रमिक पेंशन के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता। अतः ऑटो पेंशन की व्यवस्था को पहले की तरह चालू किया जाए और पेंशन से वंचित प्रमाणित श्रमिकों की पेंशन जल्द से जल्द आरम्भ हो पायेगी।
2. सिलिकोसिस नीति के अनुसार सिलीकोसिस प्रमाणित श्रमिक को 1500 रुपये मासिक विशेष पेंशन का प्रावधान किया गया है। परन्तु जो सिलिकोसिस पीडित श्रमिक पहले से किसी वृद्धा या अन्य प्रकार की सामान्य पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनका सिलिकोसिस पेंशन का ना तो आवेदन हो पा रहा है एवं ना ही विभाग द्वारा उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जा रहा हैं। जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में सिलिकोसिस पीडित श्रमिक सामान्य पेंशन लेने को मजबूर हो रहे है। अतः पेंशन के पोर्टल में श्रेणी बदलाव का विकल्प जोड़ने के लिए सम्बन्धित विभाग एवं जब तक विकल्प का जुड़ाव नही होता है तब तक सामाजिक कल्याण विभाग को विशेष पेंशन स्वीकृती जारी करने के आदेश करे।

3. सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु सहायता के लिए आवेदन के लिए नॉमिनी को पहले उसका नाम जनआधार कार्ड से कटवाकर राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आवेदन करना होता है। सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति के जनआधार में शामिल दोनों या सभी व्यक्तियों की मृत्यु होने पर सहायता के लिए आवेदन कि कोई व्यवस्था या विकल्प नहीं हैं जनआधार कार्ड से नाम कटने के बाद मृत्यु सहायता के लिए राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आवेदन की व्यवस्था को ठीक किया जाए ओर सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति के जनआधार में शामिल दोनों या सभी व्यक्तियों की मृत्यु होने पर सहायता के लिए आवेदन के विकल्प बनाये जाए।
4. सिलिकोसिस नीति के अनुसार हर प्रमाणित श्रमिक को जीवित रहते 3 लाख और मृत्यु के बाद 2 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जीवित रहते 3 लाख की सहायता राशि प्रमाणित होने के तुरंत बाद स्वत ही और मृत्यु के बाद 2 लाख रूपये की सहायता राशि राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आवेदन कर पीडित का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन नीति के रूल्स और SoP निर्धारित नही होने के कारण 3,970 आवेदन जीवित सहायता व 1,020 आवेदन मृत्यु सहायता के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग कारणों से रिजेक्ट कर दिए गए है। श्रमिक का आवेदन पोर्टल पर रिजेक्ट हो जाने की स्थिति में वह लाभ से वंचित हो जाता है और वह ना तो ऑनलाइन अपील कर सकता है और ना ही पुनः आवेदन। इसके लिए पीडित श्रमिक को अपनी अर्जी लेकर मैनुअल तरीके से जिला कलेक्टर के पास जाना होता है और जिले से उस केस को रिओपन के लिए राज्य का लिखा जाता है। जो कि सिलिकोसिस पीडित के लिए ओर भी पीडादायक प्रक्रिया है। सभी रिजेक्ट आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए राज्य स्तर से स्वतरू रिओपन कर प्राथमिकता से सहायता प्रदान की जाए।
5. सिलिकोसिस निति के अनुसार प्रत्येक सिलिकिसिस प्रमाणित श्रमिक को कुल 5 लाख (3 लाख जीवित ओर 2 लाख मृत्यु के बाद) की सहायता दिए जाने का प्रावधान हैं. पूर्व में जिन व्यक्तियों को जीवित रहते 1 लाख या 2 लाख मिला है उन्हें एकरूपता लाते हुए शेष राशि मृत्यु के बाद एकमुश्त मिलनी थी। लेकिन विभाग द्वारा शेष राशि का पूरा भुगतान करने कि बजाय 2 लाख का ही भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सहायता राशि में एकरूपता लाते हुए सभी आवेदकों को 5 लाख की सहायता राशि प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए ओर अब तक जिन्हें कम राशि प्राप्त हुई है उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाए।
6. सिलिकोसिस निति लागू होने से पूर्व सिलिकोसिस जॉच और प्रमाणीकरण कि व्यवस्था ऑफलाइन थी ओर श्रमिक को मेनुअल प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। ये प्रमाणपत्र मेडिकल कॉलेज बोर्ड ओर जिला न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वरा जारी किये गए थे। निति लागू होने के बाद ऑफलाइन तरीके से जारी इन समस्त प्रमाणपत्रों को राज सिलिकोसिस पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना था. लेकिन अभी तक सभी ऑफलाइन प्रमाणपत्र पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हुए हैं। जबकि इन सभी को सहयता राशि मिल चुकी है ओर वर्तमान में पेशन ओर पालनहार सुचारू रूप से मिल रहा है, और करौली, धौलपुर व भरतपुर जिलो में उनकी वर्तमान जिला बोर्ड द्वारा दुबारा जॉच कि जा रही

है। प्रमाणपत्र पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं होने के कारण ये श्रमिक मृत्यु बाद मिलने वाली सहायता के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे है. इसलिए मेडिकल कॉलेज बोर्ड ओर जिला न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वरा ऑफलाइन तरीके से जारी इन समस्त प्रमाणपत्रों को राज सिलिकोसिस पोर्टल पर जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।

7. राज्य के सभी जिलो में अभी तक न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा राज सिलिकोसिस पोर्टल के ऑनलाइन प्रारूप में 27,533 श्रमिको को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी किया है। अब तक प्रमाणित 27,533 श्रमिको में से मात्र 18,321 श्रमिको को ही सहायता राशी प्रदान की गई है शेष 5,053 श्रमिक लम्बे समय से अभी तक भी सहायता राशी की प्रतीक्षा में है। अतः ऐसे समस्त लम्बित 5,053 आवेदनो को प्राथमिकता के साथ सहायता राशी जारी की जाए और सहायता राशि प्रदान करने की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए।
8. राज्य में सिलिकोसिस की जॉच के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों मे से 15,166 श्रमिकों के आवेदन CHC स्तर पर और 6,160 श्रमिकों के आवेदन जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड पर जॉच के लम्बित है। इनमें से कई श्रमिकों की तो जॉच के इंतजार में मृत्यु भी हो गई। इन सभी लम्बित आवेदनो की निश्चित समय सीमा में जॉच की जाए और पूर्व में हुई चर्चा के अनुसार जिला बोर्ड की जगह टेली मेडिसिन के अनुसार पोर्टल द्वारा जॉच की व्यवस्था शीघ्र स्थापित की जाए।
9. नीति के अनुसार सिलिकोसिस जॉच के लिए आवेदन करने वाले श्रमिक को यदि PHC या मेडिकल बोर्ड के स्तर पर जॉच में सिलिकोसिस नही पाया जाता है ओर इस जॉच से वह श्रमिक असुन्तष्ट है तो वह पोर्टल पर अपनी पुर्नजॉच के लिए अपील कर सकता है। इसके लिए पोर्टल पर Appeal का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अभी इस अपील के विकल्प को श्रमिकों के लिए बंद कर दिया गया है। यानि कि अपील के लिए आवेदन केवल DTO ही कर सकता है, आवेदक या श्रमिक नहीं। जॉच के अपील आवेदन के लिए केवल DTO को ही अधिकृत करना उचित व उपयुक्त दोनो ही नहीं है। पोर्टल पर अपील का विकल्प पहले की तरह आवेदक के लिए ओपन किया जाए।
10. सिलिकोसिस नीति के अनुसार जोखिमपूर्ण व्यवसाय में कार्यरत या उससे प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति सिलिकोसिस जॉच कि लिए आवेदन कर सकता है। अपनी जॉच के दौरान यदि ऐसे सिलिकोसिस नहीं पाया जाता है और आवेदक सन्तुष्ट है तो उस समय के लिए वह प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। लेकिन वह श्रमिक आगे भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में काम करता/प्रभावित रहता है तो वह एक साल बाद दुबारा नए सिरे से जॉच के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन वर्तमान में राज सिलिकोसिस पोर्टल पर जॉच आवेदन एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो वह श्रमिक पोर्टल पर दुबारा जॉच के लिए आवेदन कर ही नहीं सकता है। जबकि लगातार जोखिमपूर्ण व्यवसाय में काम करने पर श्रमिक को कभी भी सिलिकोसिस हो सकता है और उसे नियमित अन्तराल पर जॉच का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। श्रमिकों को पोर्टल पर पहली जॉंच के एक साल बाद फिर से जॉंच के लिए पुनः आवेदन का विकल्प खोला जाए।

11. सिलिकोसिस नीति के अनुसार राज्य में जोखिमपूर्ण व्यवसाय में काम करने वाला कोई भी श्रमिक जॉच के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। अन्य राज्यों के निवासी प्रमाणित श्रमिकों को उनके राज्य से सहायता नही मिलने पर राजस्थान राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाने की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान में जॉच केवल राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ही की जाती है और यह आवेदन केवल जनआधार कार्ड होने पर ही किया जा सकता है। बिना जनआधार के काई भी श्रमिक जॉच और सहायता के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, ओर जनआधार केवल राजस्थान के निवासियों के पास ही होता है। इस कारण अन्य राज्यों से यंहा आकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक अभी तक भी सिलिकोसिस की जॉच नहीं करवा पा रहे है। अतः अन्य राज्यो से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जांच के लिए आधार कार्ड से जॉच का विकल्प प्रदान किया जाए।
12. उपरोक्त प्रकार की अधिकतर समस्याओं का एक बडा कारण यह भी है कि राज्य में लागू की गई सिलिकोसिस नीति के क्रियान्वयन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार के रूल्स या SoP नहीं बनी है। सिलिकोसिस नीति एक प्रकार का निर्देशित दस्तावेज है, जो पुर्नवास बचाव व कानून की पालना के लिए राज्य को निर्देशित करता है। यह निति किस प्रकार लागू की जाएगी, इसमें शामिल हर विभाग व अलग अलग स्तर पर क्या क्या कार्य किस प्रकार व कितने समय में किए जाएगें जैसे विस्तृत दिशा निर्देश/रूलस/SoP नहीं बने है। इस कारण हर अधिकारी और विभाग इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करके चलना और निर्णय लेना (जैसा कि जीवित प्रमाणित व्यक्ति को समय रहते सहायता नहीं मिलने और उसकी मृत्यु के बाद जीवित सहायता के आवेदन को निरस्त कर देना, श्रम विभाग द्वारा आवेदनों को BoCW में पंजीकृत नहीं होने का हवाला देकर निरस्त कर देना, अपंजीकृत कारखानों की जॉच नहीं करना, मनमाने तरीके से पोर्टल या चल रही व्यवस्था में बदलाव कर देना आदि) आरम्भ कर देता है। इस कारण नीति लागू होने 2 साल बाद भी बचाव और कानूनो की पालना के लिए प्रयास करना तो दूर जॉच, पुर्नवास व सहायता की व्यवस्था भी ठीक से लागू नहीं हो पाई है।
13. राजस्थान में सिलिकोसिस प्रभावित 19 जिलों में सिलिकोसिस नीति के क्रियान्वयन के लिये जिला कलक्टर की अध;क्षता में जिला अधिकारियों, श्रमिक संगठनों, सिविल सोसायटी के सदस्यो, नियोक्ताओ को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा जिलेवार प्रत्येक तीन माह में बैठक कर सिलिकोसिस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा कर ठोस आयोजना व अनुगमन किया जाए।

उक्त समस्याऐं निकलकर आयी उस अनुरूप संस्थान द्वारा पूर्व में निःशक्तजन आयोग द्वारा निकले दिशा निर्देशानुसार जिला कलैक्टर महोदय को उक्त समस्याओं के समाधान हेतु पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। तथा निश्सक्तजन विभाग जयपुर को भी अवगत करवा दिया गया है। सभी ऑफलाईन प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन करने के आदेश जारी कर दिये गये है। उक्त समस्याओं के समाधान हेतु लगातार फोलो जिला व राज्य स्तर पर किया

जा रहा है। जिससे कि सिलिकोसिस पीडितों व उनके उत्तराधिकारियों का लाभान्वित किया जा सकेगा इस बावत् कार्य करने की आवश्कता हैं।

रूटिन टीकाकरण जागरूगता

संस्था के द्वारा करौली जिले के टोडाभीम व सपोटरा ब्लॉक के सब सेन्टरों पर लक्ष्यानुसार टीकाकरण नही हो रहा था उन सब सेन्टरों पर संस्था रूटिन टीकाकरण शत प्रतिशत करवाने पर काम कर रही है जिसमें सपोटरा ब्लॉक के 6 सब सेंटरों व टोडाभीम ब्लॉक के 15 सब सेंटरों पर काम किया जा रहा है उन सेंटरों पर 40 प्रतिशत से कम टीकाकरण होता था टीकाकरण के प्रति लोगों के गलत भ्रातिया थी बुखार आना विकलांग हो जाना नियमित टीकाकरण दिवसों का आयोजन नही होना संस्था के द्वारा समुदाय बैठक कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया और टीकाकरण के महत्व के वारें में जानकारी दी गई सरकारी के द्वारा निशुल्क दीये जाने वाले टीका हमारें नन्ने मुन्ने वच्चों कों 9 जानलेबा बीमारी से रक्षा करते है जैस टी बी पोलिया काली खाशी गलघोटू टेटनेस खसरा रूबेला आदि बीमारी से रक्षा करता है अपने वच्चों कों समय समय पर नियमित टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया एवम नियमित MCHN day में भगीदारी देकर टीकाकरण के लक्ष्य को बढाया गया

रूटीन टीकाकरण शत् प्रतिशत लक्ष्यों का प्राप्त करने हेतु निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है–

1. सामुदायिक जागरूकता बैठक
2. प्रभावशाली धर्मगुरू पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक
3 होम विजिट
4 गर्भवती धात्री महिलाओं के साथ बैठक

5 स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के साथ नियमित बैठक
6 एम.सी.एच.एन.डे सत्रो में भागीदारी
7 कोरोना टीकाकरण जागरूकता गतिविधियां
8 सेक्टर बैठक में भागीदारी

सामुदायिक जागरूकता बैठक

संस्थान द्वारा चिन्हित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के 35 गावों में अलग –2 समुदाय के 10028 महिला तथा पुरूषों को रूटीन टीकाकरण के लाभों के वारें में विस्तार से जानकारी दी गई

प्रभावशाली धर्मगुरू पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक 13

प्रभाव शाली व्यक्ति धर्म गुरू से समुदाय के लोगों को टीकाकरण के लिए प्ररित करवाना जिसमें 400 लोगो के साथ अलग अलग बैठक की गई जिनका नियमित सहयोग मिल रहा है। होम विजिट 163 डयु लिस्ट के अनुसार टीकाकरण सें वचिंत वच्चों व गर्भवती महिला के घर –2 जा कर उन को टीकाकरण के लिए प्ररित कि गई

गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ 24 बैठक की गई जिसमें गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार व नियमित टीकाकरण की जानकारी दी गई

स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के साथ नियमित बैठक 15RCHO,BCMO ,BPM चिकित्सा अधिकारी ANM ASHA आदि के साथ बैठक करना

एम.सी.एच.एन.डे सत्रो में भागीदारी

30 एम.सी.एच.एन.डे सत्रो में भागीदारी की गई जिसमें 235 गर्भवती व 633 बच्चों को टीकाकरण से लाभावित करवाया गया।

कोविड बैक्सीनेसन जागरूकता

संस्था के द्वारा करौली जिले के टोडाभीम व सपोटरा ब्लॉक में काविड बैक्सीन जागरूगता का कार्य रही है जैस ही आम लोगों के कोविड बैक्सीनेसन लगाना शुरू किया तो पहले चरण में में 60 बर्ष से अधिक उम्र के लागों के बैक्सीन करने के आदेश थे लोग बैक्सीन लगवाने से डर रहे थें लागों में बैक्सीन के प्रति गलत भ्रातिया थी बैक्सीन से मरने का डर था बैक्सीन के नाम से लोग भागने लगतें संस्था के द्वारा समुदाय बैठक कर लाभार्थी के घर घर जागकर बैक्सीन के वारें में जागरूक किये बैक्सीन सौ प्रतिशत सुरक्षित है बैक्सीन सभी लोगों के लगेगी जैसे जैसे सरकार के द्वारा बैक्सीन के आदेश आते गये उसी के अनुसार लोगों को बैक्सीन के लिए जागरूक करने का कार्य संस्था के द्वारा किया गया
काविड वैक्सीन के प्रति लोगों की गलत भ्रातिया थी जिसमें सस्थान के द्वारा जागरूगता बैठक

पोस्टर पम्पलेट दीवार लेखन कर 3265 लागों को प्रथम डोज व 1112 लागों को दुसरी डोज लगवाई गई

सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान

इस अभियान में संस्था के द्वारा करौली जिले के सपोटरा व टोडाभीम ब्लॉक में 2022 सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान, में 0 से 2 बर्ष तक के नन्हे मुन्ने वच्चों व गर्भवती महिला को 9 तरह की बीमारीयों से वचाने के लिए चलाये गये अभियान में नियमित टीकाकरण से वचिंत वच्चों के शत प्रतिशत टीकाकरण करवाने में सहयोग किया गया संस्था के कार्यकर्ता ने 2022 सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान,में 12 सत्र के माध्यम से अपनी भागीदरी निभाई अभियान से पहले संस्था की टीम के द्वारा RCHO डॉ. जयन्ती लाल मीना से सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान,पर चर्चा कर माइक्रोप्लानिंग की गई जिसमें 90 प्रतिशत से कम वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों को अभियान के प्लान में जुडवाया एवम जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ANM नही है उन पर CHA को लगाकर टीकाकरण करवाया जाये जिस से इन्द्रधनुष 4.0 अभियान में टीकाकरण से बचिंत बच्चे व गर्मवती महिला के शतप्रतिशत टीकाकरण हो सकें सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान में संस्था टीम के द्वारा सपोटरा व टीडाभीम ब्लॉक में 12 सत्रों में अपनी भागीदारी निभाई जिस में माइकोप्लानिंग के अनुसार टीकाकरण से बचित 0 से 2 वर्ष तक के वच्चों टीकाकरण करवाने में ANM का सहयोग कर टीकाकरण से वचित वच्चे व गर्भवती महिला के घर घर जाकर टीकाकरण के लिए जागरूक कर उप स्वास्थ्य केन्द्र /ऑगनवाडी केन्द्र पर ले जाकर टीकाकरण शतप्रतिशत लक्ष्य पुर्ण किया गया

		लक्ष्य (Proposed Target)		प्रगति (Achievement)	
क्रं सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	0 से 2 वर्ष के वच्चे की संख्या	गर्भवती महिला	0 से 2 वर्ष के वच्चे की संख्या	गर्भवती महिला
1	बुकना	15	1	15	1
2	बडोदा	18	2	18	2
3	गोरडा	14	2	12	2
4	कालागुडा	11	1	10	1
5	पाडला	13	1	10	1
6	पदमपुरा	7	2	7	2

7	टारेज	4	1	4	1
8	नागललाट	7	0	7	0
9	खोहर्रा	1	0	1	1
10	पदमपुरा	2	0	2	0
11	उरदैन	3	0	3	0
12	पहाडी	3	0	3	0
	कुल	98	10	92	11

कोविड व रूटिन टीकाकरण पर प्रभावशाली व धर्मगुरूओं की कार्यशाला

संस्था के द्वारा करौली जिले के टोडाभीम व सपोटरा ब्लॉक में प्रभावशाली व धर्मगुरूओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया धर्मगुरू प्रभावशाली ब्रह्मा कुमारी सरपंच वार्डपंच आदि को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया और टीका के बारे में जानकारी दी गई समुदाय में पूर्ण टीकाकरण हो सके इसमें धर्मगुरूओं वार्डपंच सरपंचों की प्रभावी भूमिका होती है समुदास में टीका करण के प्रति लोगों में गलत भ्रातिया उन को समझा कर नियमित टीकाकरण के लिए प्ररित करें

जी.पी.डी.पी. जागरूकता अभियान

संस्था के द्वारा करौली जिलें की दो पंचायत समिति करौली व मण्डरायल की प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह अभियान चलाया गया है इस अभियान में वाहन रथ व चार सदस्य टीम के द्वारा प्रत्येक ग्राम पचायत में दो दिन समुदाय के लोगों के साथ महिला सभा बाल सभा कर लोगों को जी.पी.डी.पी के वारें में बताना और ग्राम पचायत के जी.पी.डी.पी प्लान में गांव की समस्याए को जोडवाना

.प्रवासी मजदूर परिवारों का सर्वे :–

संस्था द्वारा करौली जिले के प्रवासी श्रमिकों को देश में लॉकडाउन के दौरान रोजगार की बढती समस्या व कोरोना महामारी की समस्या के कारण प्रवासी मजदूर वेरोजगार हो गये है एवं परिवार को चलाने के लिए दूसरों से कर्जा लेना पड रहा है। यहां कभी–कभार कोई मजदूरी कार्य मिल जाता है तो कर लेते है। मनरेगा में भी काम नहीं चल रहा है। मनरेगा से जोडने के लिए फॉर्म नं. 6 भरवाये जा रहे है एवं उनको मनरेगा में कार्य दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है।

बाल संरक्षण समिति :–

संस्था द्वारा ससेडी ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण समिति का निर्माण किया जा चुका है जिसमें बार्ड पंच, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी आदि शामिल है। इनके साथ बच्चों को बुलवाकर बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें बच्चों की समस्या का समाधान करने हेतु कार्य योजना का निमार्ण किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच, बार्ड पंच के साथ प्रशिक्षण :–

संस्था द्वारा संस्था एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत ससडी के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच, बार्ड पंचो ने भाग लिया। प्रशिक्षण में मनेरगा में प्रवासी मजदूर, विधवा महिलाओं के कार्य व ग्रामीण मनरेगा के कार्य से वंचित है, उन्हें साल में 50 दिन से कम काम मिला है उनके लिए मनरेगा फार्म नं. 6 भरवाकर ग्राम पंचायत में जमा करवाये जायेंगे जिससे उन्हें मनरेगा योजना में कार्य मिल सकेगा। मनरेगा में कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्य किये जाने पर सहमति बनी, उस अनुरूप संस्था द्वारा सहयोग के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया गया।

बच्चो की स्थिति :–

ग्राम पंचायत ससेडी में विद्यालयों से बच्चों की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें ड्रॉप आउट बच्चों की सूची प्राप्त कर सूची तैयार की गई जिससे उनके घर–घर जाकर उन्हें वापिस विधालय से जोडे जा सके। ड्रॉप आउट बच्चों की परिस्थिति के अनुसार शिक्षा से वंचित 10 से 19 वर्ष के गांव ससेडी में ड्रॉप आउट 19 बच्चों की सूची तैयार कर विद्यालयों में सम्पर्क किया गया जिनका वहा नाम तो जुड रहा है लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे है ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोडने हेतु प्रयास किये जा रहे है। साथ ही ओपन स्कूल से जोडने हेतु तैयारी कर जब आवेदन भरे जायेंगे उनका आवेदन भरवाया जायेगा।

ग्राम पंचायतों के साथ कार्य

संस्था राज्य सरकार के ग्राम पंचायत विकास योजना कार्यक्रम के अर्न्तगत अरावली व यूनीसेफ के सहयोग से करौली जिले की मंडरायल व करौली ब्लांक में जी.पी.डी.पी प्लान तैयार करने में ग्राम पंचायतों का सहयोग कर रही है।

सिलिकोसिस प्रोटेक्सन समूह द्वारा करौली टांकी पर कार्य करने के लिए मैन्यूअल माईनिंग में राजस्थान में कार्य करने पर जागरूकता अभियान चलाने व राज्य सरकार से लागू करवाने पर सहमति बनी।
डांग विकास संस्थान करौली द्वारा सुरक्षित खनन हेतु तैयार की गई करौली टांकी पर सिलिकोसिस प्रोटेक्सन समूह द्वारा कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया करौली टांकी का विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार टीम द्वारा खनन क्षेत्र में डैमों किया गया जिसमें 60 प्रतिशत धूल फेफडों में जाने से रूकती है इसलिए खनन कार्य करते समय करौली टोकी का उपयोग करने से सिलिकोसिस जैसी लाईलाज बीमारी रोकने में बहुत ही मददगार सावित हो रहा है।